

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाडमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: /2021

प्रार्थीगण:-

1. मदनसिंह पुत्र खीमसिंह जाति राजपुत निवासी कुण्डल
2. शैतानसिंह पुत्र खीमसिंह जाति राजपुत निवासी कुण्डल
तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार, सिवाना।
2. नरपतसिंह पुत्र वीरदसिंह जाति राजपुत निवासी कुण्डल
3. बाबुसिंह पुत्र भीखसिंह जाति पुरोहीत निवासी कुण्डल
4. कुपाराम पुत्र भीखाराम जाति रबारी निवासी सरायादेवीनगर
5. खीमाराम पुत्र बगताराम जाति रबारी निवासी सरायादेवीनगर
6. गडुकाराम पुत्र बगताराम जाति रबारी निवासी सरायादेवीनगर
7. चैनाराम पुत्र भीखाराम जाति रबारी निवासी सरायादेवीनगर
8. चांपाराम पुत्र भीखाराम जाति रबारी निवासी सरायादेवीनगर
9. छोगाराम पुत्र भीखाराम जाति रबारी निवासी सरायादेवीनगर
10. ढपो पत्नी बगताराम जाति रबारी निवासी सरायादेवीनगर
11. देवाराम पुत्र भीखाराम जाति रबारी निवासी सरायादेवीनगर
12. नेनाराम पुत्र बगताराम जाति रबारी निवासी सरायादेवीनगर
13. नीम्बाराम पुत्र भीखाराम जाति रबारी निवासी सरायादेवीनगर
14. बलाराम पुत्र बगताराम जाति रबारी निवासी सरायादेवीनगर
15. बींजाराम पुत्र फुसाराम जाति रबारी निवासी सरायादेवीनगर
16. लीला पत्नी भीखाराम जाति रबारी निवासी सरायादेवीनगर
17. सुजाराम पुत्र बगताराम जाति रबारी निवासी सरायादेवीनगर
तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956

उपस्थित:-

1. श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

-:: आदेश ::-

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

दिनांक :-08.04.2022



प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू. रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईयश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण के विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अन्तिम चौसला आधार सवत् 2071 -2074 सरहद मौजा सरियादेवीनगर पटवार मण्डल कुण्डल तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 418 रकबा 05.7708 हैक्टेयर भूमि का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माटे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना को आदेशित किया जाता है कि दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा सरियादेवीनगर पटवार मण्डल कुण्डल तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 418 रकबा 05.7708 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार सिवाना को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार सिवाना बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो।

प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

आदेश आज दिनांक 08.04.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

क्रमांक: वाचक / 2022 / 702

दिनांक : - 22.04.22

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

मदनसिंह वगैरह

तहसीलदार सिवाना वगैरह

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

राजस्व आवेदन सं 46 / 21

दिनांक :- 08.04.2022

-:: आदेश ::-

उपरोक्त प्रकरण में राजस्व ग्राम सरहद सरियादेवीनगर पटवार मण्डल कुण्डल तहसील समदडी के खेत खसरा नम्बर 418 रकबा 05.7708 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में सम्पूर्ण भूमि का नाप पैमाईश कर उक्त खसरे के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार, सिवाना को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस रूपये 500/- प्रार्थीगण अदा करेगा।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक: वाचक / 2022 / 703-706
प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार सिवाना ।
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी कुण्डल को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. श्री प्रार्थीगण वगैरह

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना

दिनांक : - 22.04.22

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना